

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं०: 386/2026
सी०एन०आर०नं०— यू०पी०जे०पी० 010043222026

गोविन्दा बिन्द पुत्र लुटावन बिन्द
 निवासी—धनधनौवा, थाना सरायख्वाजा, जिला जौनपुर।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु०अ०सं०—279/2026
 धारा—108 बी०एन०एस०।
 थाना—सरायख्वाजा, जिला जौनपुर।

03.06.2026

आवेदक/अभियुक्त गोविन्दा बिन्द द्वारा मु०अ०सं०—279/2026, धारा—108 बी०एन०एस०, थाना—सरायख्वाजा, जिला—जौनपुर के मुकदमे में अग्रिम जमानत प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल न देने का अंकन किया गया है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनांक 03.06.2026

प्र० सत्र न्यायाधीश,
 जौनपुर।